डिक्री मुकददमा इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–171/12

उनवान

बाबूलाल पुत्र स्व0 रामेश्वर उम्र 62 वर्ष जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम देवथला, तन निवाना, तहसील चौमूं जिला जयपुर, हाल निवासी गुजरी, जिला धार, मध्यप्रदेश।

–वादी

बनाम

1. सीताराम पुत्र स्व0 मुरली जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम देवथला तन निवाना, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. मोहनी पुत्री मुरली, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम देवथला तन निवाना, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. कैलाश पुत्र स्व0 रामेश्वर
4. चन्दाबाई पुत्री स्व0 रामेश्वर
5. पवन पुत्र स्व0 कृष्णा बाई दोहिता स्व0 रामेश्वर
6. प्रमिला पुत्री स्व0 कृष्णा बाई दोहिता स्व0 रामेश्वर
7. संगीता पुत्री स्व0 कृष्णा बाई दोहिता स्व0 रामेश्वर

   क्रम 3 ता 7 जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम देवथला तन निवाना तहसील चौमूं, जिला जयपुर, हाल निवासी गुजरी, जिला धार, मध्यप्रदेश।
8. मनीष
9. कविता
10. विनिता
11. सरिता

    समस्त पुत्र/पुत्री स्व0 मुन्नाबाई उर्फ मनोरमाबाई दोहिता स्व0 रामेश्वर, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम देवथला, तन निवाना, तहसील चौमूं, जिला जयपुर(राज0), हाल निवासी गुजरी जिला धार मध्यप्रदेश।
12. रामेश्वर प्रसाद पुत्र कालूराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम देवथला, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
13. उप पंजियक चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, दन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी प्रतिवादी मिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती देवयानी आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद, वादी द्वारा साबित नहीं किये जाने के कारण खारिज किया जाता है।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 13.08.2019 को जारी किया गया।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मोहर

दस्तखत ....

ओहदा...सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	3 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड	4	जोड	2

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–171/12

उनवान

बाबूलाल पुत्र स्व0 रामेश्वर उम्र 62 वर्ष जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम देवथला, तन निवाना, तहसील चौमूं जिला जयपुर, हाल निवासी गुजरी, जिला धार, मध्यप्रदेश।

–वादी

बनाम

1. सीताराम पुत्र स्व0 मुरली जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम देवथला तन निवाना, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. मोहनी पुत्री मुरली, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम देवथला तन निवाना, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. कैलाश पुत्र स्व0 रामेश्वर
4. चन्दावाई पुत्री स्व0 रामेश्वर
5. पवन पुत्र स्व0 कृष्णा बाई दोहिता स्व0 रामेश्वर
6. प्रमिला पुत्री स्व0 कृष्णा बाई दोहिता स्व0 रामेश्वर
7. संगीता पुत्री स्व0 कृष्णा बाई दोहिता स्व0 रामेश्वर
   क्रम 3 ता 7 जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम देवथला तन निवाना तहसील चौमूं, जिला जयपुर, हाल निवासी गुजरी, जिला धार, मध्यप्रदेश।
8. मनीष
9. कविता
10. विनिता
11. सरिता
    समस्त पुत्र/पुत्री स्व0 मुन्नाबाई उर्फ मनोरमाबाई दोहिता स्व0 रामेश्वर, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम देवथला, तन निवाना, तहसील चौमूं, जिला जयपुर(राज0), हाल निवासी गुजरी जिला धार मध्यप्रदेश।
12. रामेश्वर प्रसाद पुत्र कालूराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम देवथला, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
13. उप पंजियक चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, दन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक :–13.08.2019

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी ग्राम देवथला तन निवाना, तहसील चौमूं, जिला जयपुर हाल निवासी गुजरी, जिला धार मध्यप्रदेश का रहने वाला काश्तकार पेश व्यक्ति हैं, तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 एक ही परिवार के सदस्य है। वाके ग्राम देवथला, तहसील चौमूं जिला जयपुर में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि स्थित है। जिसके पुराने खसरा नम्बर 373 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 374 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 375 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 550 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 551/632 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा

सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 के दादा स्व0 गौरु उर्फ गोरन के समय से पुश्तैनी [redacted] काश्त में चली आ रही है। मृतक गौरु उर्फ गोरन के तीन पुत्र क्रमशः भूरा, रामेश्वर, मुरली हुए, जिनका भी स्वर्गवास हो चुका है। जिनमें भूरा व उसके पुत्र ग्यारसीलाल व पुत्री शांती भी अविवाहित निःसन्तान फौत हो चुके है, जिस कारण उक्त सम्पति कृषि भूमि में वादी के पिता रामेश्वर का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता मुरली का 1/2 हिस्सा निरन्तर उपयोग उपभोग में चलता आ रहा है। मृतक मुरली के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है तथा मृतक रामेश्वर के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 हैं उक्त वर्णित भूमि के दौराने सेटलमेन्ट नये खसरा नम्बर 1134 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 1189 रकबा 1.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 1190/1536 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 1313 रकबा 0.04 हैक्टर कुल किता 4 का कुल रकबा 1.55 हैक्टर बने है। उक्त वर्णित कुल आराजीयात वाद–पत्र में भूमि विवादग्रस्त है।

वाद–पत्र में भूमि विवादग्रस्त सम्पर्ण काश्त भूमियॉ वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमि रही है, लेकिन कानकूनान की गलती से खातेदारी मुरली पुत्र गोरु उर्फ गोरन के नाम से दर्ज हो गयी, जिसके स्वर्गवास के पश्चात् उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हो गयी। जो आज भी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज रिकार्ड है, लेकिन उक्त भूमि विवादग्रस्त वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 की पुश्तैनी चली आ रही है। वादी के पिता रामेश्वर एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पिता मुरली सगे भाई थे तथा निरन्तर उक्त भूमियों पर पुश्तैनी रुप से काबिज रह कर काश्त करते रहे। वादी कमाने–खाने के लिए मजदूरी हेतु गांव से बाहर ग्राम गुजरी, जिला धार, मध्यप्रदेश में चला गया तथा वहां मजदूरी करने के दौरान ही अपने भाई–बहिनों को भी वहीं पर बुला लिया तथा उक्त भूमि विवादग्रस्त में वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 के निहित 1/2 हिस्सा की भूमि को गांव आकर साल–सम्भाल करते रहे है। विवादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा कब्जे काश्त का पुश्तैनी रुप से चला आ रहा है, जो वादी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कई बार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कराने व अपने नाम से खातेदारी दर्ज कराने हेतु कहता आ रहा है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हमेशा वादी को झूंठे आश्वासन देते रहे है कि सेटलमेन्ट आने पर करवा देंगे। लेकिन वादी के बार–बार कहने के उपरान्त आज तक भी प्रतिवादी संख्या 1 यही कहता रहा कि तुम्हारा 1/2 हिस्सा है, जो तुम्हारे नाम करवा दूंगा। मौजूदा में भूमियों की किमते बढ जाने से प्रतिवादी संख्या 1 की नियत में बदनियती आ गयी है, जो उक्त भूमि विवादग्रस्त में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर बाहरी व्यक्तियों को बेचान, हस्तान्तरण कर देना चाहता है। जिसका उसे कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ने बराये बदनियती उक्त भूमि विवादग्रस्त में खसरा नम्बर 1313 रकबा 0.04 हैक्टर सम्पूर्ण का बेचान बिना हक

सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

अधिकार व बिना प्रतिफल के प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 के हक अधिकारों के प्रति प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य है।

वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया है कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषण एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार डिक्री फरमाया जाकर भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 1134, 1189, 1190/1536, 1313 कुल किता 4 का कुल रकबा 1.55 हैक्टर स्थित वाके ग्राम देवथला, तहसील चौमूं, जिला जयपुर की भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा होने की उद्घोषणा फरमायी जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 का नाम दर्ज किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषैधाज्ञा से इस कदर पाबन्द करवावें कि प्रतिवादी संख्या 1 भूमि विवादग्रस्त में किसी भी हक हिस्से की भूमि को बाला–बाला किसी अन्य व्यक्ति को बेचान, हस्तान्तरण, रहन आदि नहीं करे, ना ही किसी प्रकार का निर्माण करे, ना ही वादी के उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित करें, ना ही वादी के उपयोग उपभोग में व्यवधान कररित करें एवं प्रतिवादी संख्या 12 उक्त भूमि में प्रवेश नहीं करे, ना ही उक्त भूमि का बेचान, हस्तान्तरण करें, एवं प्रतिवादी संख्या 13 ऐसे किसी भी विक्रय–पत्र, हस्तान्तरण विलेख का कोई पंजियन नहीं करे और प्रतिवादी संख्या 14 उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार की तब्दीली नहीं करे, ना ही अन्य से करवायें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत किया है कि वादी का जन्म स्थान भी ग्राम गुजरी हैं व वादी राजकीय सेवामें अध्यापक पद पर कार्यरत रहा हैं, जो अब सेवानिवृत हो गया है। वादी काश्तकार पैशा व्यक्ति न कभी था, ना रहा , ना है। वादी ने मिन प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मुरली पुत्र गौरु की एकमात्र मिल्कियत व स्वामित्वव की स्वअर्जित सम्पत्ति में अनाधिकार ही अधिकार कायम करवाने की कुचेष्ठा से सजरा खानदान गलत रुप से वर्णित किया है। उक्त भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता मुरली पुत्र गौरु की एकमात्र मिल्कियत व स्वामित्व की स्व–अर्जित सम्पत्ति रही हैं, जिससे गौरु उर्फ गौरन या भूरा पुत्र गौरु, रामेश्वर पुत्र गौरु या रामेश्वर के वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 11 का कोई सम्बन्ध, सरोकार नहीं हैं, ना ही उक्त सम्पत्ति वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 11 की पुश्तेनी खातेदारी भूमि हैं, ना ही उक्त सम्पत्ति पर गौरु उर्फ गौरन का कभी कब्जा काश्त रहा हैं। गौरु तो ग्राम गुजरी जिला धार मध्यप्रदेश में बैलगाडी रख कर मजदूरी कर अपना व वादी के पिता का पालन पोषण करता था व ग्राम गुजरी में ही रहकर अपना जीवन यापन करता रहा व स्वयं वादी का जन्म ग्राम गुजरी में हुआ हैं। उक्त भूमि तो प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता पुरली पुत्र गौरु की सम्पत्ति नही हैं, जिस पर पूर्व में मुरली पुत्र गौरु व तत्पश्चात् मुरली की मृत्यु उपरान्त प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 उक्त भूमि पर काविज हुए व प्रतिवादीया संख्या 2 विवाह उपरान्त अपने ससुराल ग्राम बिलान्दरपुर

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

रहवास कर रही है। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 व 11 की पुश्तेनी भूमि कभी नहीं रही, ना ही उक्त भूमि कभी गौरु उर्फ गौरन के कब्जे काश्त की भूमि रही, ना ही उक्त भूमि कारकुनान की गलती से मुरली पुत्र गौरु के नाम दर्ज हुई भूमि है। वास्तविकता यह हैं कि उक्त भूमि मुरली पुत्र गौरु उर्फ गौरन के एकमात्र स्वामित्व एवं आधिपत्य की स्वअर्जित भूमि हैं व रही हैं। जिसमें गौरु उर्फ गौरन या गौरु के अन्य वारिसान भूरा, रामेश्वर या वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 11 का कोई सम्बन्ध, सरोकार नहीं हैं। वादी ने भूमि को मुरली पुत्र गौरु की स्व–अर्जित भूमि जानते हुये भी व वादी की पुश्तेनी भूमि नहीं होने की जानकारी रखते हये भी, अब बदनियति वश जमीनों की कीमतों में वृद्धि हो जाने से कतई मिथ्या अभिवचनों के आधार पर यह वादी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 11 से अपसी दुर्भिसंधी कर पेश किया हैं, जो पेश रफ्त ही नहीं होने से खारिज योग्य है। वादी के पिता रामेश्वर एवं मिन प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मुरली आपस में सगे भाई है। रामेश्वर पुत्र गौरु ग्राम गुजरी में हलवाई का व्यवसाय करता था व ग्राम गुजरी में ही अपने पिता गौरु के साथ रहवास करता था व अपने परिवार को भी अपने साथ अपने पास ग्राम गुजरी में ही रखा, जहां पर ही वादी का जन्म हुआ व वादी ने मध्यप्रदेश से ही शिक्षा दिक्षा प्राप्त की, सरकारी नौकरी प्राप्त की व सेवानिवृत हुआ तथा मन प्रतिवादी के पिता मुरली ग्राम देवथला में शुरु से ही निवास करता रहा, जिसने स्वयं ने उक्त भूमि को अर्जित किया। मिन प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भूमि आराजी खसरा नम्बर 1313 रकबा 0.04 हैक्टेयर को अपने जिविकोपार्जन हेतु प्रतिवादी संख्या 12 को बेचान किया है।

जब भूमि वादी की पुश्तेनी सम्पत्ति कभी नहीं रही, ना ही उक्त सम्पत्ति गौरु उर्फ गौरन से विरासत में प्राप्त हुई है, व वास्तविकता में यह सम्पत्ति तो मुरली पुत्र गौरु उर्फ गौरन की स्व–अर्जित सम्पत्ति रही हैं, जो विरासत में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को प्राप्त हुई है व प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि का काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं तो ऐसे में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 11 जो कि उक्त भूमि से कतई अजनबी व्यक्ति है को मिन प्रतिवादी संख्या 1 को तथाकथित रुप से स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द करवाने का अधिकार कहां रह जाता है। साथ ही यह भी कि कानूनन रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरुद्ध किसी प्रकार की निषैधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं, ऐसे में वादी का वाद पत्र पेश रफ्त ही नहीं होने से खारिज करने का निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण के निस्तारित हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादी वादपत्र के मद नं0 2 में वर्णित आराजीयात भूमि पुश्तैनी होने के कारण घोषणा करवाने का अधिकारी है।

–जिम्मे वादी

2. आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करवाने का अधिकारी है।

–जिम्मे वादी

सहायक कलक्टर
चाकूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

3. आया विवादित भूमि प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के पिता की स्वअर्जित भूमि रही है। वादी का विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है।

–जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1

4. आया वादपत्र के मद सं0 2 में खसरा नम्बर 1313 प्रतिवादी संख्या 12 को बेचान कर दिया है। जिस विक्रय पत्र की वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 11 को शुरु से ही जानकारी रही है। विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना चलने योग्य नहीं है।

–जिम्मे प्रतिवादी सं0 1

5. दादरसी

यह कि उक्त वाद पत्र के निस्तारण के लिए हमे तनकीवार निर्णय देना आवश्यक है तथा प्रत्येक तनकी को अलग अलग रुप से निर्णित किया जावेगा।

तनकी संख्या 1:– वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में ना तो कोई मौखिक साक्ष्य पेश की है और ना ही दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई। वादी को अपनी उक्त तनकी साबित करने के लिए मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश करनी चाहिए थी जिसके अभाव में वादी की उक्त तनकी उसके विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2:– तनकी नं0 1 वादी द्वारा साबित नहीं की जाने के कारण उक्त तनकी संख्या 2 वादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 व 4:– वादी द्वारा तनकी नं0 1 व 2 साबित नहीं किये जाने कारण तनकी नं0 3 व 4 को अलग से निर्णित किया जाना आवश्यक नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व वकील प्रतिवादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादी द्वारा न तो मौखिक साक्ष्य पेश की गई है न ही दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई। वादी का वाद घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का है जिसे वादी को अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया जाना आवश्यक था लेकिन वादी द्वारा अपने वादपत्र की तनकी संख्या 1 व 2 साबित नहीं कर पाया जिसका जिम्मा वादी को था। वादी द्वारा वाद पत्र साबित नहीं किये जाने के कारण वादी का पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद, वादी द्वारा साबित नहीं किये जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो। डिक्री जारी है।

यह निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

सहायक कलक्टर
चौमूँ

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2019.11.22 16:07:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: